उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या – ..27... / 2018

भगवान मिश्रा बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं जसवंत सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख
23-08-2018	आवेदक भगवान मिश्रा पिता स्व0 नारायण मिश्रा, ग्राम– लाखे, थाना– मुफस्लि हजारीबाग, जिला हजारीबाग द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद सं0– **11 / 2015–16** भगवान मिश्रा बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं अन्य में दिनांक **27 / 01 / 2017** को पारित आदेश के विरूद्ध U/S- 16 Bihar Tenants holding (Maintenance of record) Act.-1973 के तहत रिविजन वाद दायर किया गया है। आवेदन के साथ निम्न न्यायालय में पारित आदेश की सत्यापित प्रति एवं U/S- 5 Limtation Act. के तहत् कालबाद्ध को क्षान्त हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक ..31-08-2018.... को रखें। 23/8/18 उपायुक्त, रामगढ़।	
31·08·2018	अपीलार्थी – वकालतन हाजरी पी0 पदा0 अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 12/09/2018 को रखें।	
12·09·18	अपीलार्थी – वकालतन हाजरी बहस सुना। आदेश हेतु रखें। प्र0 पदा0 12/9/18	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
06/02/2019	पी० पदा० अन्य कार्य में व्यस्त दिनांक 20/02/2019 को रखें। प्र० लि०
20/02/19	अपीलार्थी – वकालतन हाजरी विपक्षी – वकालतन हाजरी बहस सुना। आदेश हेतु रखें। 20/2/19
	–:: आदेश ::– अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। बहस के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय में लम्बित है, जिसे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः विपक्षी की ओर से दिनांक–16.01.2019 को दायर आवेदन के प्रत्योत्तर में अपीलार्थी की ओर से दिनांक 23.01.2019 को दायर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना नियम के प्रतिकुल होगा। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। 20/2/19 **उपायुक्त,** रामगढ़।